न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223 RTA 2023-180 (GCMS 2023-321)

बाबूलाल परिहार पुत्र अणदाराम परिहार
जाति माली, निवासी खेमे का कुआं
पाल रोड़, जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
   जरिये उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण
   जोधपुर (दक्षिण)
2. नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)
   जरिये आयुक्त, जोधपुर
3. तहसीलदार (पश्चिम)
   जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर
4. मुन्नालाल पुत्र अणदाराम परिहार
   निवासी 6 नम्बर पम्पिंग स्टेशन
   श्री अणदाराम स्कूल के सामने,
   जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर दिनांक 04 सितम्बर 2023 राजस्व वाद संख्या 642/2022 बाबूलाल परिहार बनाम जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर व अन्य

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री जे. गहलोत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री कमलेश राठौड, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दिनेश शर्मा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन
श्री अक्षय दवे, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 13 अक्टूबर, 2023

13.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 642/2022 बाबूलाल परिहार बनाम जोधपुर विकास प्राधिकरण व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 सितम्बर 2023 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 14 सितम्बर 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत एक राजस्व वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा आराजी खसरा संख्या 87 व 96 रकबा 40 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा चौपासनी जागीर के संबंध में पेश किया। जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 सितम्बर 2023 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है, पूर्व में उक्त भूमि के खातेदार नवलाराम जी थे, उनके द्वारा निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर कालान्तर में वादग्रस्त आराजियात बाबत खातेदारी अधिकार अणदाराम में निहित हुए और अणदाराम द्वारा निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर जुगराज एवं बाबूलाल को वादग्रस्त आराजियात बाबत अणदाराम के देहान्त के बाद अधिकार अर्जित हुए। बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि वादी को धन की निजी आवश्यकता होने के कारण दिनांक 22 मार्च 1990 को प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या चार के पक्ष में खसरा संख्या 87 व 97 की कुल भूमि में से 14 बीघा भूमि के बेचान बाबत आम-मुख्तयारनामा निष्पादित किया, जिसका दुरूपयोग करते हुए रेस्पो. संख्या चार द्वारा सम्पूर्ण भूमि का कूटरचित आम-मुख्तयारनामा तैयार कर

13.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तीन अलग-अलग पंजीबद्ध विकय विलेखों के माध्यम से अनन्तराम इत्यादि एवं कृष्णा गहलोत आदि के पक्ष में बेचान कर दिया। इस संबंध में वादी-अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायालय (फास्ट ट्रेक संख्या 3) जोधपुर के समक्ष दीवानी वाद संख्या 282/2004 अणदाराम के कायममुकामान बनाम मुन्नालाल व अन्य तथा सी.ओ.342/2004 अणदाराम के कायममुकामान बनाम मुन्नालाल व अन्य पेश किये गये, जिनका निस्तारण कमशः दिनांक 28 अप्रेल 2005 एवं 17 मार्च 2007 को किया गया। उक्त प्रकरणों में पारित निर्णयों के खिलाफ वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल फर्स्ट अपील संख्या 174/2005 अणदाराम के कायममुकामान बनाम मुन्नालाल व अन्य तथा एस.बी.सिविल फर्स्ट अपील संख्या 131/2007 मुन्नालाल व अन्य बनाम अणदाराम के कायममुकामान पेश की गयी जो वर्तमान में विचाराधीन है तथा इनमें पारित स्थगन आदेश अस्तित्व में है। इसके उपरान्त भी रेस्पो. संख्या 4 के पक्ष में कार्यवाही करते हुए रेस्पो. संख्या 1 व 2 द्वारा राज्य सरकार के आदेश एवं शर्तो के विपरीत प्लान (नक्शा) स्वीकृत कर पट्टा जारी कर दिया गया। सूचना के अधिकार के तहत अपीलाण्ट द्वारा मांगी गयी सूचना के जबाब में प्लान अनुमोदित नहीं होने के कारण प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने से इंकार किया गया। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट-वादी की ओर से मूल वाद प्रस्तुत किये जाने के करीब एक साल बाद प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 4 की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 23 दिसम्बर 2022 को पेश किया गया, जिसका जबाब अपीलाण्ट की ओर से 24 जनवरी 2023 को पेश कर प्रार्थनापत्र संधारण योग्य नहीं होना जाहिर किया गया। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए मूल वाद खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि अपीलाण्ट अणदाराम के कायममुकामान की हैसियत से वादग्रस्त भूमि का खातेदार है किन्तु विभिन्न न्यायालय में विवादों के

13.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कारण राजस्व रिकार्ड में उसका नाम दर्ज नहीं हो पाया। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि है अथवा नहीं, वादी-अपीलाण्ट इस भूमि का खातेदार है या नहीं, ये बिन्दु तथ्यों एवं विधि से संबंधित मिश्रित बिन्दु है जिनका विनिश्चयन पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद ही किया जा सकता है। अपीलाण्ट द्वारा मूल वाद में रेस्पो. संख्या चार के खिलाफ किसी अनुतोष की मांग नहीं की गयी, अपितु प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक के खिलाफ अनुतोष मांगा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या चार को उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। इसके उपरान्त भी यदि कोई उज्र एतराज था तो प्रारम्भिक आपत्तियों सहित जबाबदावा प्रस्तुत किया जा सकता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी वाद के अभिवचनों के साथ दस्तावेजात को भी देखते हुए पारित किये गये है जबकि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को मात्र वादपत्र में वर्णित अभिवचनों को ही देखना होता है। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र मे वर्णित अभिकथनों को तोड मरोड कर रेस्पो. के प्रार्थनापत्र के अपठनीय तथ्यों के आधार पर दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है और दो विरोधाभासी निष्कर्ष पारित किये है - प्रथम, विघालय को खसरा संख्या 90 की भूमि पर निर्मित होना माना है जबकि खसरा संख्या 90 का कोई दस्तावेज अभिलेख पर उपलब्ध ही नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा जमाबंदी व खसरा गिरदावरी के इन्द्राजात पर पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के पूर्व में निर्णित मुकदमें व उनकी उच्च न्यायालय में विचाराधीन अपीलों का वादकरण अलग था एवं वर्तमान वाद का वादकरण अलग है, चाहा गया अनुतोष भी भिन्न-भिन्न है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने न्यायालय का ध्यान 2018 आर.बी.जे. 250, एआईआर 1983 राजस्थान 1, एआईआर 1983 राजस्थान 3, 2012(3) डीएनजे (राज) 1569, 2013(4) डीएनजे (राज) 1743, 2017(3) डीएनजे 1547,

13.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

20196 डीएनजे (एससी) 1137 व 2021(3) आरटीजे (सिविल) 583 की ओर आकर्षित किया।

रेस्पो. संख्या एक से तीन की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और मामले में तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात बाबत तत्कालीन रिकार्डेड खातेदार अणदाराम द्वारा दिनांक 22 मार्च 1990 को रेस्पो. संख्या चार के पक्ष में एक पंजीबद्ध आम मुख्तयारनामा निष्पादित किया गया और पूर्व में दिनांक 5 मई 1975 को अणदाराम द्वारा निष्पादित बेचान इकरारनामा के अनुसरण में रेस्पो. संख्या चार द्वारा उक्त आम-मुख्तयारनामा के आधार पर विभिन्न 49 व्यक्तियों के पक्ष में अणदाराम की सहमति अनुसार वादग्रस्त आराजियात के सम्पूर्ण रकबे अर्थात 40 बीघा 10 बिस्वा भूमि का विभिन्न पंजीबद्ध विकय विलेखों के माध्यम से बेचान कर भौतिक कब्जा सुपुर्द किया गया। तब से इन केतागण का ही वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा काश्त मालिकाना हैसियत से चला आ रहा है और दिनांक 04 अक्तूबर 1991 को अपर जिला कलेक्टर (भूमि रूपांतरण) जोधपुर द्वारा खसरा संख्या 87 व 96 की सम्पूर्ण भूमि बाबत संपरिवर्तन आदेश भी पारित किया जा चुका है एवं अधिकांश केतागण द्वारा आवासीय पट्टे भी प्राप्त कर मकानात भी निर्मित कर लिये गये है। अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4 ने यह भी जाहिर किया कि अणदाराम परिहार शिक्षण संस्थान खसरा संख्या 91 की सरकारी भूमि पर निर्मित है जो सन 2003 में उक्त संस्थान को तत्कालीन नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा आवण्टित हुई और सन 2012 में इसका पट्टा भी जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। है। अतः उक्त शिक्षण संस्थात वादग्रस्त आराजी पर स्थित होने अथवा उक्त शिक्षण संस्थान परिसर का निर्माण अणदाराम द्वारा कराये जाने बाबत वादी-अपीलाण्ट की ओर से किया गया अभिकथन सही नहीं है। अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार ने यह

13.8.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भी जाहिर किया कि राजस्व न्यायालय को कृषि भूमियों, जिन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(24) में परिभाषित किया गया है, के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के शेड्युल 3 में वर्णित मामलों की क्षेत्राधिकार उपलब्ध है। धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा मात्र काबिज रिकार्डेड खातेदार के पक्ष में ही जारी की जा सकती है। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट न तो मौके पर काबिज है और न ही वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है। आज्ञापक निषेधाज्ञा जैसा कोई प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निस्तारण किये जाने के समय मूल वाद व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात देखे जाने का प्रावधान है। मूल वाद के साथ राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2061-2064 में आराजी खसरा संख्या 87 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 96 रकबा 23 बीघा बाबत नगर सुधार न्यास जोधपुर (वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण) बतौर खातेदार दर्ज है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र वाद के किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है, अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख व प्रस्तुत नजीरों का गहन अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत वाद की कार्यवाही के दौरान रेस्पो.-प्रतिवादी संख्या चार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पक्षकारान की सुनवाई के बाद निस्तारण करते हुए मूल दावा क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज किया गया है।

सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 इस प्रकार है -

11. Rejection of plaint.- The plaint shall be rejected in the following cases:—

(a) where it does not disclose a cause of action;

13.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;

(e) where it is not filed in duplicate;

(f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.

Provided that the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

2003(1) एससीसी 557 सलीम भाई व अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि - ... the trial court can exercise the power at any stage of the suit – before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. अतः जहॉ तक मूल वाद दायर होने के करीब एक साल बाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश किये जाने का प्रश्न है, इस बाबत अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा उठाया गया आक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि 2007(4) सीसीसी 731 (एससी) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र वाद के किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में स्वयं वादी-अपीलाण्ट द्वारा प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या चार को पक्षकार संयोजित किया गया है, ऐसी स्थिति अधिवक्ता-अपीलाण्ट का प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या चार को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश करने का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं होने बाबत किया गया कथन भी तर्कसंगत नहीं है है। बतौर प्रतिवादी मामले में पक्षकार होने के आधार पर प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या चार उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का मुश्तहक है।

13.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अध्ययन करने पर विदित होता है कि 2018 आर.बी.जे. 250 एवं 2017(3) डीएनजे 1547 में माननीय न्यायालय द्वारा धारितानुसार क्षेत्राधिकार का प्रश्न विधि एवं तथ्यों का मिश्रित प्रश्न है जिसका विनिश्चयन वादपत्र में किये गये अभिकथनों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार 2012(3) डीएनजे (राज) 1569 के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते हुए मात्र वादपत्र में किये गये अभिकथनों ही विचारणीय रहते है। यही मत 2021(3) आरटीजे (सिविल) 583 के मामले में भी प्रतिपादित किया गया है।

इन नजीरों के परिप्रेक्ष्य में आलौच्य मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों बाबत मनन करने पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत मूल वादपत्र में वादी-अपीलाण्ट स्वंय द्वारा किये गये अभिकथनों में रेस्पो. संख्या चार पर कूटरचना कर वादग्रस्त आराजियात बाबत विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में पंजीबद्ध विकय विलेख निष्पादित किया जाना एवं रेस्पो. संख्या एक द्वारा पट्टे जारी कर दिया जाना जाहिर किया गया है। इन पंजीबद्ध विकय विलेखों को अपास्त कराये जाने बाबत भी वादी-अपीलाण्ट द्वारा सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही किया जाना एवं सफलता नहीं मिलने आगे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तक अपील की कार्यवाही किया जाना मूलवाद पत्र में अंकित किया गया है। वादपत्र के साथ जो दस्तावेजात पेश किये गये है, उनमें राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2061-2064 में आराजी खसरा संख्या 87 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 96 रकबा 23 बीघा बाबत नगर सुधार न्यास जोधपुर (वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण) बतौर खातेदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में आलौच्य प्रकरण में मात्र वादपत्र में अंकित अभिकथनों एवं वाद के साथ प्रस्तुत लोक दस्तावेजात के आधार पर ही यह भलीभांति प्रकट हो जाता है कि वादग्रस्त आराजियात दावा प्रस्तुत किये

13.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाने के काफी समय पूर्व ही "गैर-कृषि प्रकृति" की भूमि हो चुकी है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा मात्र काबिज रिकार्डेड खातेदार के पक्ष में ही जारी की जा सकती है। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट न तो मौके पर काबिज है और न ही वादग्रस्त भूमि का अभिलिखित खातेदार है। आज्ञापक निषेधाज्ञा जैसा कोई प्रावधान भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 में उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मूल वाद का सार्थक एवं गहन पठन (on a meaningful and not formal reading) करने मात्र से आलौच्य वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होना प्रकट हो जाता है। इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य मामला राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होना मानते हुए मूल दावा जरिये अपीलाधीन निर्णय खारिज किया गया है, जो अदालत हाजा की राय में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य एवं आधार नजर नहीं आता है।

प्रस्तुत नजीरों एआईआर 1983 राजस्थान 1 एवं एआईआर 1983 राजस्थान 3 के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि वादहेतुक प्रकटीकरण के अभाव में दावा खारिज नहीं किया जाना चाहिये। 2013(4) डीएनजे (राज) 1743 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाद हेतुक की उत्पत्ति होने अथवा नहीं होने के संबंध में तनकी कायम की जाकर निस्तारण किया जाना उचित माना गया है। किन्तु आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दावा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया है, अतः वाद-हेतुक के संबंध में प्रस्तुत उक्त नजीरें तथ्यों एवं परिस्थितियों की भिन्नता के कारण इस मामले में लागू नहीं होती है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित

13.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 सितम्बर 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13.X.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

बाबूलाल परिहार पुत्र अणदाराम
परिहार जाति माली,
निवासी खेमे का कुआं
पाल रोड, जोधपुर

रेस्पोडेण्ट

ब

1. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, जरिये उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर (दक्षिण)
2. नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) जरिये आयुक्त, जोधपुर

ना

3. तहसीलदार (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर
4. मुन्नालाल पुत्र अणदाराम परिहार निवासी 6 नम्बर पम्पिंग स्टेशन श्री अणदाराम स्कूल के सामने, जोधपुर

म

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जोधपुर दिनांक 04 सितम्बर 2023 राजस्व वाद संख्या 642/2022 बाबूलाल परिहार बनाम जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर व अन्य

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील आज बतारीख 13 अक्तूबर 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री जे. गहलोत मिनजानिब अपीलाण्ट एवं श्री कमलेश राठौड, श्री दिनेश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी, एवं श्री अक्षय कुमार दवे मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 04 सितम्बर 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 13 अक्तूबर 2023 को जारी किया गया।

13.X.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

.... निरन्तर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बावत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

13.X.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर